

(भारत के राजपत्र के भाग-1, खण्ड-2 में प्रकाशनार्थ)

संख्या-14012/20/2012-अ.भा.से.-III


भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 5 सितम्बर, 2012

आधिश्चना

भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिरीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति भारतीय प्रशासनिक सेवा के नागालैंड संवर्ग के भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि(यों) से स्थायी करते हैं :

क्र.सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री)	बैच	स्थायीकरण की तिथि
1	अनूप खिंची	2008	01/09/2010
2	स्मिता सारंगी	2008	01/09/2010


(नवनीत मिश्रा)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
फरीदाबाद (हरियाणा).